भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1820
10 फरवरी, 2026 को उत्तरार्थ

विषय-पीएम-आशा का कार्यान्वयन

1820. श्री आनंद भदौरियाः

क्या **कृषि और किसान कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) क्या सरकार ने देश के किसानों को लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए वर्ष 2018 में प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा) शुरू किया था, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान आज की तिथि तक पीएम-आशा के तहत वर्ष-वार और राज्य-वार आवंटित, जारी और उपयोग की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार ने पिछले तीन वर्षों के दौरान किसानों को लाभकारी मूल्य दिलाने पर पीएम-आशा के प्रभाव का पता लगाने के लिए कोई अध्ययन कराया है, यदि हाँ, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(घ) यदि नहीं, तो क्या सरकार चालू वर्षों के दौरान इसके लिए कोई अध्ययन कराएगी; और
(ङ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क): जी हाँ, मूल्य समर्थन योजना (पीएसएस), मूल्य घाटा भुगतान योजना (पीडीपीएस) और निजी खरीद और स्टॉकिस्ट योजना (पीपीएसएस) के घटकों के साथ किसानों को लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के उद्देश्य से वर्ष 2018 में प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा) शुरू किया गया। वर्ष 2024-25 से, घटकों और बाजार हस्तक्षेप योजना (एमआईएस) के साथ एकीकृत पीएम-आशा लागू की जा रहा है। कृषि और किसान कल्याण विभाग द्वारा पीएसएस, पीडीपीएस और एमआईएस का कार्यान्वयन किया जाता है। उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा पीएसएफ का कार्यान्वयन किया जाता है।

पीएसएस का कार्यान्वयन राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के अनुरोध पर किया जाता है ताकि पूर्व पंजीकृत किसानों को लाभकारी मूल्य प्रदान करने के लिए चरम कटाई अवधि के दौरान जब भी इन वस्तुओं के बाजार मूल्य अधिसूचित एमएसपी से नीचे आएं, तो निर्धारित अवधि के अंदर केन्द्रीय नोडल एजेंसियों के माध्यम से न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर अधिसूचित दलहन, तिलहन और कोपरा की निर्धारित उचित औसत गुणवत्ता (एफएक्यू) की खरीद की जा सके। केन्द्र सरकार द्वारा खरीद की कुल मात्रा विशेष मौसम के लिए विशेष दलहन, तिलहन और कोपरा के अखिल भारतीय उत्पादन के 25 प्रतिशत तक सीमित होगी। प्रारंभ में पीएसएस के तहत खरीद की मंजूरी राज्य अनुमानित उत्पादन के 25 प्रतिशत पर दी जाती है। तथापि, किसी दिए गए राज्य में सीएनए द्वारा विशेष वस्तु के राज्य उत्पादन के 25 प्रतिशत की खरीद समाप्त होने के बाद ही वस्तु के अखिल भारतीय उत्पादन के 25 प्रतिशत की विंडो के तहत अतिरिक्त मात्रा की अनुमति दी जाएगी।

घरेलू उत्पादन को प्रोत्साहित करने और किसानों को लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए दलहन आत्मनिर्भरता मिशन के तहत वर्ष 2030-31 तक केंद्रीय नोडल एजेंसियों के माध्यम से पूर्व-पंजीकृत किसानों से अरहर, उड़द और मसूर की उनकी ओर से दी गई मात्रा के अनुसार खरीद की जाती है।
पीडीपीएस एक पारदर्शी नीलामी प्रक्रिया के माध्यम से अधिसूचित बाजार यार्ड में निर्धारित अवधि के भीतर निर्धारित एफएक्यू मानदंडों के तिलहन बेचने वाले पूर्व-पंजीकृत किसानों को एमएसपी और बिक्री/मॉडल मूल्य के बीच के अंतर का सीधा भुगतान प्रदान करता है। इस योजना में कोई वास्तविक खरीद शामिल नहीं है। पीडीपीएस के तहत एमएसपी और बिक्री/मॉडल मूल्य के बीच अंतर अर्थात् मूल्य में कमी का पूरा मुआवजा, जो किसानों को एमएसपी मूल्य के 15% (2% प्रशासनिक लागत सहित) तक प्राप्त होता है, केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जाता है। विशेष तिलहन के राज्य उत्पादन के 40 प्रतिशत तक की मात्रा के लिए केंद्र सरकार की सहायता दी जाएगी। यदि कोई राज्य 40% से अधिक मात्रा को कवर करने का इच्छुक है, तो उसे राज्य सरकारों के संसाधनों से वित्त पोषित करने की आवश्यकता है।

एमआईएस का कार्यान्वयन देश भर में कृषि और बागवानी की वे वस्तुएँ जो प्रकृति में नाशवान हैं और न्यूनतम समर्थन मूल्य व्यवस्था के अंतर्गत शामिल नहीं हैं, के लिए किसानों को लाभकारी मूल्य प्रदान करने के लिए किया जाता है इसका उद्देश्य किसानों को आवक के दौरान बंपर फसल उत्पादन की स्थिति में जब कीमतें उत्पादन लागत से कम हो जाती हैं, मजबूरी में बिक्री से बचाना है, पिछले सामान्य वर्ष की तुलना में वर्तमान बाजार कीमतों में कम से कम 10% की कमी होनी चाहिए। यह योजना राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार के अनुरोध पर कार्यान्वित की जाती है, जो इसके कार्यान्वयन पर होने वाली हानि का 50% (पूर्वोत्तर राज्यों के मामले में 25%) वहन करने के लिए तैयार है।

एपीएमसी मंडियों में ट्रेड की जाने वाली फसलों के लिए किसानों को बाजार हस्तक्षेप मूल्य (एमआईपी) और बिक्री मूल्य के बीच मूल्य अंतर का सीधा भुगतान करने के विकल्प के साथ पीडीपीएस के नए घटकों को जोड़ा गया है। इसके अतिरिक्त, टीओपी फसलों (टमाटर, प्याज और आलू) के परिवहन और भंडारण लागत के लिए केंद्रीय नोडल एजेंसियों और राज्य नामित एजेंसियों को उनके भंडारण और उत्पादक राज्य से उपभोक्ता राज्य तक परिवहन की अनुमति है।

(ख): पीएम-आशा के अंतर्गत राज्य सरकारों को निधियां आवंटित नहीं की जाती हैं। तथापि, इन स्कीमों के कार्यान्वयन में हुई हानि, यदि कोई हो, की प्रतिपूर्ति सीएनए, राज्य एजेंसियों और राज्य सरकारों को की जाती है। विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान पीएम-आशा के तहत आवंटित और उपयोग की गई निधि का विवरण अनुबंध-I पर है।

(ग) से (ङ): पीएसएस का मूल्यांकन विकास निगरानी और मूल्यांकन कार्यालय (डीएमईओ), नीति आयोग द्वारा वर्ष 2023-24 में किया गया है। मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार, किसानों ने एमएसपी लाभ और लाभकारी मूल्य प्राप्त करने पर संतोष व्यक्त किया।

अनुबंध-I

(राशि रुपये करोड़ में)

2022-23	**आवंटित बजट**	**उपयोग किया गया**
एमआईएस/पीएसएस	4,500.00	4,007.00
पीपीएसएस	0.00	0.00
पीडीपीएस	0.00	0.00
2023-24	**आवंटित बजट**	**उपयोग किया गया**
एमआईएस	40.00	0.00
पीएसएस	2200.00	2200.00
पीपीएसएस	0.00	0.00
पीडीपीएस	0.00	0.00
2024-25	**आवंटित बजट**	**उपयोग किया गया**
एमआईएस	75.13	22.59
पीएम-आशा	6,476.13	5,437.99
2025-26	**आवंटित बजट**	**उपयोग किया गया**
पीएम-आशा	6941.36	3710.12

*2023-24 से एमआईएस और पीएसएस के लिए अलग-अलग बजट हेड आवंटित किए गए।

पीएम-आशा के तहत एक कॉमन हेड अक्टूबर 2024 में पेश किया गया था।

***